भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1275
दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

बाल विवाह के मामलों को कम करने में छात्रवृत्ति के प्रभाव पर आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) की रिपोर्ट

1275. डा. एल. हनुमंतय्या:
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री नीरज डांगी:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों से छात्रवृत्ति आरंभ होने के बाद से बाल विवाह की घटनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बाल विवाह के मामले को कम करने में छात्रवृत्ति के प्रभाव का आकलन किस प्रकार किया जाता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का योजना को समाप्त करने के लिए आर्थिक विकास संस्थान(आईईजी) की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा है;

(घ) क्या सरकार योजना के कार्यान्वयन और छात्रवृत्ति राशि के संबंध में जताई गई चिंताओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन करने की मंशा रखती है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आईईजी की रिपोर्ट और कार्य प्रणाली का जनता के लिए उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी) ने सूचना दी है कि आईईजी द्वारा शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बाल विवाह से संबंधित डाटा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचना दी है कि आईईजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में बाल विवाह के मामलों को कम करने में छात्रवृत्ति के प्रभाव का आंकलन नहीं किया गया है।

*****